भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3081

जिसका उत्तर गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त, 2013 को दिया जाना है

संयुक्त उद्यम

3081. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिसमें विकसित देशों ने निवेश किया है;

(ख) क्या विकसित देशों ने उक्त अवधि के दौरान कुछ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देस विशेषकर महाराष्ट्र के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए संयुक्त उद्यम का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य देशों विशेषकर जापान द्वारा इन संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विकसित देशों का विचार चालू वित्त वर्ष में भी अन्य संयुक्त उद्यमों में निवेश का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, वर्तमान में देश मे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यम प्रचालनरत हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किसी भी विकसित देश ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में निवेश नहीं किया है।

(ख): उक्त अवधि के दौरान भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ विकसित देशों द्वारा कोई संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं किया गया है।

(ग)और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च): जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, 700 मेगावाट और उससे अधिक के न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंवेंशनल आईलैण्ड (टरबाइन साइड) के कार्यान्वयन के लिए संयुकत उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन के लिए बीएचईएल, न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और मैसर्स एल्स्टॉम, फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) फरवरी, 2011 में किया गया था। मैसर्स एल्स्टॉम फिलहाल अन्य बातों के साथ-साथ एनपीसीआईएल/बीएचईएल के साथ न्यूक्लियर डेमेज एक्ट, 2010 के लिए नागरिक देयताओं के कारण उत्पन्न होने वाले सहित विभिन्न मुद्दों/पहलुओं पर विचार/अन्वेषण/जांच कर रहा है।

*****